| PAGE 1 OF 3 | अभियोजन साक्षी संख्याः 01 |
|---|---|

| न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06<br>जनपद – कानपुर देहात। | | |
|---|---|---|
| सत्र वाद संख्या- 504/2025 | | |
| राज्य | **बनाम** | राजन यादव आदि |

| नाम साक्षीः<br>सुरेश कुमार पुत्र श्री रामसेवक | अपराध संख्या-61/2019 |
|---|---|
| उम्रः लगभग 65 वर्ष,<br>पेशाः कृषि | धारा- 147, 308, 323, 452, 504, 506 भादवि |
| पता साक्षीः<br>ग्राम सजेती, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर | थाना-सजेती, कानपुर नगर। |

## प्रतिपरीक्षा

## दिनांकः-29.04.2026

मैं **साक्षीः सुरेश कुमार पुत्र श्री रामसेवक, उम्रः लगभग 65 वर्ष, पेशाः कृषि, पता साक्षीः ग्राम सजेती, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

7. यह बात सही है कि मैं ग्राम सहजना जिला हमीरपुर का मूल निवासी हूँ लेकिन मैं सजेती में ज्यादा रहता हूँ। मैं अपना वोट सहजना में डालता हूँ। मैंने कभी भी सजेती में वोट नहीं डाला क्योंकि मेरा वोट सजेती में नहीं है। जिन शिवनारायण के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज कराया था वे शिवनारायण सजेती के रहने वाले थे। शिवनारायण के मकान के आसपास मैंने कोई जमीन खरीदी नहीं थी बल्कि ग्रामसमाज की जो जमीन पड़ी हुई थी उस पर मैंने मकान बना लिया था। कोई पट्टा नहीं हुआ था इस बारे में लड़का ही बता सकता है।

---

8. प्रश्नः शिवनारायण की जमीन पर आपने बलपूर्वक कब्जा कर मकान निर्माण करने का प्रयास किया था इसी बाबत बहू मीनाक्षी ने मुकदमा दर्ज कराया था। क्या आपको जानकारी है ?

उत्तरः शिवनारायण ने हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था इसी बाबत झगड़ा हुआ था।

9. दिनांक 05.01.2019 को मेरा मेडिकल घाटमपुर स्थित सरकारी अस्पताल में हुआ था जहाँ से मुझे रेफर कर दिया गया था।

10. मुझे याद नहीं है कि दिनांक 06.01.2019 को कोई एनसीआर थाना सजेती में लिखवाया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने थाना सजेती में एक एनसीआर लिखवायी थी जिसमें घटना का दिनांक 06.01.2019 दिखाया हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने बाद में घटना की तिथि एवं कथित घटना के तथ्यों में वृद्धि करते हुए दिनांक 02.02.2019 को पंजीकृत कराई हो। यह भी कहना गलत है कि दिनांक 06.01.2019 को एनसीआर के आधार पर ही मेरा मेडिकोलीगल हुआ हो। मुझे यह भी याद नहीं है कि एनसीआर लिखाते समय जो प्रार्थना-पत्र दिया हो और जो एफआईआर के लिए प्रार्थना-पत्र दिया हो उसमें घटना के समय व अभियुक्तगणों के नामों में परिवर्तन किया गया हो।

11. घटना के समय सजेती के प्रधान वेदप्रकाश सचान थे। यह कहना गलत है कि घटना के समय मौजूदा प्रधान द्वारा शिवनरायण की जमीन पर कब्जा करने में मेरी मदद की गई थी। यह भी कहना गलत है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे कहने पर अभियुक्तों के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई हो। मुझे जानकारी नहीं है कि शिवनारायण की बहू मीनाक्षी द्वारा दीवानी का जो वाद दाखिल किया गया है जिसमें मैं भी पक्षकार हूँ, उसमें तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रतिवादी के रुप में पक्षकार हैं या नहीं।

12. मेडिकल कराने में मेरा कोई खर्च नहीं हुआ था। मेरा प्राइवेट भी इलाज हुआ था। प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर मेरा चार-छह हजार रुपया खर्च हुआ था।

---

13. यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण द्वारा मेरे साथ कोई मारपीट न की गई हो।

14. यह भी कहना गलत है कि मैंने पैसे देकर झूठा मेडिकल तैयार कराकर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया हो।

15. एफआईआर दर्ज होने के बाद दरोगा ने मुझसे पूछताछ की थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने दरोगा को एफआईआर दर्ज होने से पूर्व एनसीआर दर्ज होने की बात बताई थी या नहीं।

16. यह कहना गलत है कि शिवनारायण की जमीन पर कब्जा करने हेतु मैंने अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा अभियोग पंजीकृत कराया हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT

---